अवर न्यायाधीश, षष्ठम्, पटना सिटी।

स्वत्व वाद 67/1995

17-11-2022 प्रस्तुत अधिकार वाद के संदर्भ में दिनांक–16.11.2022 के दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि इस न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अधिकार वाद में लम्बी तिथि निर्धारित की गयी है। इस आधार पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना के वेबसाइट के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत अधिकार वाद से संबंधित सी.डबलू.जे.सी. –3619/2020 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि प्रस्तुत अधिकार वाद को दिन–प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई करते हुए एक सप्ताह में संबंधित आवेदन को निष्पादित करने हेतु आदेशित किया गया है। इस आधार पर यह न्यायालय न्यायहित को ध्यान में रखते हुए एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना के निर्देशों का पालन करते हुए प्रस्तुत अधिकार वाद में निर्धारित तिथि 21.12.2022 को रिकॉल करते हुए आज की तिथि 17.11.2022 निर्धारित की जाती है और प्रस्तुत अधिकार वाद दिन–प्रतिदिन पर सुनवाई हेतु नियत किया जाता है, ताकि न्यायहित को ध्यान में रखते हुए एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना के निर्देशों का पालन यथाशीघ्र किया जा सके। साथ–ही कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि प्रस्तुत अधिकार वाद से संबंधित सभी पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को अभिलेख हस्ताक्षरित करायें, ताकि सभी पक्षकारों को रिकॉल तिथि की जानकारी प्राप्त हो सके एवं वास्ते 18.11.2022 प्रति–उत्तर एवं सुनवाई हेतु।

लेखापित

अवर न्यायाधीश, षष्ठम्
पटना सिटी

Seen D.N. [illegible] AGP [illegible] 17/11/22

Seen [illegible] 17/11/22

[illegible] 17/11/22